

अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 60/2018

1- सागर राम पुत्र डुंगरराम जाति नाथक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनूं
जिला नागौर

.....अपीलान्ट

बनाम

1- तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज०

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विक्रम कुड़ी अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज०सरकार जरिये पटवारी हल्का,
सुनारी बनाम जगदीशसिंह मु० नं० 77/18 अन्तर्गत धारा 91 एल.

आर. एक्ट दिनांक 11.09.2018


निर्णय

दिनांक 23.01.2019

अपीलान्ट की ओर से निम्न अपील पेश है :-

यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने
दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी सागर राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



श्री सागर राम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 ने खसरा नम्बर 304 रकबा 00.04 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि पर गौचर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमण को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नागौर जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र मे रिपोर्ट प्राप्त की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली-भांति अध्ययन एकरा अतिक्रमण किया ,ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किस्म गै0 मु0 गौचर रकबा 00.04 बीघा भूमि पर सागर राम पुत्र श्री डूंगर राम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज0 द्वारा गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि सागर राम पुत्र श्री डूंगर राम जाति नायक निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व मे अतिक्रमण किये जाने पर रा0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू के मु0 न0 77/2018 दर्ज कर अतिक्रमणानुसार निर्णय दिनांक 11.09.2018 (सरकार बनाम सागर राम) में अतिक्रमी माना जाकर बेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45 रुपये का 50 गुणा जुर्माना 05 रूपये के आदेश पारित किये है।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट मे प्रदत्त प्रावक्तियों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं0 304 किस्म गै0 मु0 गौचर रकबा 00.04 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से अतिरिक्त होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:--

अतिरिक्त जिला क्लर्क
वीरवाणा (नागौर)

—: अपील के आधार :-

कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के निर्णय अधिन अपील पारित करने में धोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये हैं।

अपीलान्त/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

कि अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है, उक्त स्थान पर अपीलान्त के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से ही बने हुए हैं, तथा स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 304 में आबादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आबादी भूमे के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)


उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार
होकर रहवास करते आ रहे है। जिससे भी अधिनस्थ
आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी खसरा नम्बर 304 की भूमि में पिढियों से अपने रहवासी
कर रहा है तथा अपने रहवासी मकानात में बिजली पानी जैसी
सुविधाओं के कनेक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे है। जिससे भी
उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं ।

अपीलान्ट के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई
मकाना व जायगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है, एक मात्र
मकाना अपने मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को
उक्त उचित कारण के ही वेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों को
उक्त की कमाई से बनाये गये रहवासीय माकानात को तोड़ फोड़ कर
है तो अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन
कर लिये मजबुर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई
कार्यवाही कर उक्त आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही
उक्त के विरुद्ध ड्रॉप किया जाना न्याय हित में है।

अपीलार्थी हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप चौक
कर करण तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्ट के विरुद्ध धारा
उक्त कार्यवाही करने की अनुशंसा की है, जो मौके पर बिना कोई
रूप से नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट
कर दी, जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये
जाये योग्य है।

इसलिए कि मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का
अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त
जाये योग्य है।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बोकाराना (सागर)

अपील जजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अपील अर्ज श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर
लिखित है।

अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है
दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपास्त व
अन्वय जाने की कृपा करावे।

अधिवक्ता अपीलान्त ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की
दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेंट को जरिये
पत्र भेजा गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय
नायब तहसीलदार लाडनू द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जो
अपीलार्थी को प्रेषित किया गया।

अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर
अपीलार्थी के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा
नायब तहसीलदार पुरा के खसरा नम्बर 304 रकबा 31.06 बीघा में से 0.04 बीघा
भूमि मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने
अपीलार्थी को न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू द्वारा अतिक्रमण घोषित
अधिकृत रूप से वेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम
के तहत जुर्माना रूपये 05/- अक्षरे रूपये पांच का अर्थदण्ड आरोपित
किया तथा वेदखली के आदेश दिये गये।


अपीलान्त ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू को दिया
आदेश में बताया कि सुनवाई के वगैर निर्णय किया गया है तथा
अतिक्रमण भूमि पर रहवासीये मकानात पर्वजो के समय से बने हुवे है तथा
अतिक्रमण पानी कनेक्शन भी ले रखे है। तथा आबादी विस्तार के लिये जिला
नायब तहसीलदार नागौर से भी आबादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन
हुआ है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

गौचर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर.
के तहत उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं
है तथा न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पटटा जारी
जा सकता है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्ट को
का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.9.
को अपना जवाब पेश किया जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर
उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प0ह0 सुनारी व
की, रिपोर्ट दिनांक 5.07.18 में भी सागर राम पुत्र डूंगर राम को
व दिवार बनाने पर मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी बताया गया है तथा
मुतनाजा भूमि आबादी विस्तार भूमि से बाहर खसरा संख्या 304
गौचर में स्थिति बताया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा
दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय विधि सम्मत है।

∴ आ दे श ∴

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ
न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।


(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त शिक्षा कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की

से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त शिक्षा कलक्टर
डीडवाना (नागौर)